

प्रेषक

एस0 पी0 सिंह,
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 16 सितम्बर, 2020

विषय:- कोविड-19 महामारी के रोकथाम एवं उपचार हेतु True NAT-Real time Quantitive Micro PCR के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में राजकीय मेडिकल कालेजों हेतु मानक मद-26-मशीने और सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र मद में प्राविधानित की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति संबंधी शासनादेश दिनांक 01.06.2020 में संशोधन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-82/2020/2421/71-1-2020-जी-133/2018, दिनांक 01-06-2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा विषयगत उपकरण के क्रय हेतु राजकीय मेडिकल कालेजवार धनराशि स्वीकृत की गई है। उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय हेतु शासनादेश के प्रस्तर-12 में त्रुटिवश निम्नवत् उल्लेख हो गया है:-

"उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन संबंधित मेडिकल कालेजों में राजस्व लेखा के मानक मद-39-औषधि तथा रसायन के अन्तर्गत सुसंगत लेखाशीर्षक के नामे डाला जायेगा।"

2- उल्लेखनीय है कि राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर, जालौन, कन्नौज सहारनपुर में प्रश्नगत धनराशि का व्यय अनुदान संख्या-83 से किया जाना है। अतः उक्त त्रुटि के निराकरण हेतु शासनादेश दिनांक 01.06.2020 के प्रस्तर-12 में उल्लिखित लेखाशीर्षक के स्थान पर निम्नवत् पढ़ा जाये:-

"उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 एवं 83 के अधीन संबंधित मेडिकल कालेजों में राजस्व लेखा के मानक मद-39-औषधि तथा रसायन के अन्तर्गत सुसंगत लेखाशीर्षक के नामे डाला जायेगा।"

3- उपर्युक्त शासनादेश संख्या-82/2020/2421/71-1-2020-जी-133/2018, दिनांक 01-06-2020 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए। शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीय

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

संख्या:-108/2020/3044(1)/71-1-2020 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 2- संबंधित जिलाधिकारी।
- 3- वित्त नियंत्रक, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
- 4- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, कानपुर, आगरा, मेरठ, प्रयागराज, झाँसी, गोरखपुर, अम्बेडकर नगर, बदायूँ, बाँदा, सहारनपुर, आजमगढ़, जालौन तथा कन्नौज।
- 5- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, कानपुर, आगरा, मेरठ, प्रयागराज, झाँसी, गोरखपुर, अम्बेडकर नगर, बदायूँ, बाँदा, सहारनपुर, आजमगढ़, जालौन तथा कन्नौज।
- 6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर, आगरा, मेरठ, प्रयागराज, झाँसी, गोरखपुर, अम्बेडकर नगर, बदायूँ, बाँदा, सहारनपुर, आजमगढ़, जालौन तथा कन्नौज।
- 7- नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2,
- 8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

<http://shasanadesh.up.nic.in>